

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प.4(56)कृषि/ग्रुप-2/2004

जयपुर,दिनांक 19-9-2013

आदेश

वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी.संख्या 131300449 दिनांक 18.09.2013 के अनुसरण में कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत निम्न नवीन पद सृजित किये जाते हैं:-

1. संयुक्त निदेशक	06 पद
2. उप निदेशक	01 पद
3. सहायक निदेशक	18 पद
4. विपणन अधिकारी	03 पद
5. कनिष्ठ विपणन अधिकारी	13 पद

कुल पद 41 पद

उक्त पदों की स्वीकृति के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प.4 (56)कृषि/ग्रुप-2/2004 दिनांक 31.05.2013 द्वारा निर्धारित भिन्न-भिन्न संवर्गों की पद संख्या (Cadre Strength) में संशोधन कर कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से भिन्न-भिन्न संवर्गों की पद संख्या (Cadre Strength) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृषि विपणन राज्य सेवा

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. <u>संयुक्त निदेशक</u> (कुल 7 पद) | 2 (निदेशालय में)
5 (खण्ड कार्यालय बीकानेर,श्रीगंगानगर,
जयपुर,जोधपुर एवं कोटा) |
| 2. <u>उप निदेशक</u> (कुल 23 पद) | 3 (निदेशालय में)
5 (क्षेत्रीय कार्यालय सीकर,अलवर,
अजमेर,उदयपुर एवं हनुमानगढ़)
15(विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव) |
| 3. <u>सहायक निदेशक</u> (कुल 47 पद) | 2 (निदेशालय में)
28 ("अ" श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव)
17("ब" श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव) |

(Handwritten Signature)

(Handwritten Signature)
केसर सिंह
उप निदेशक

- | | | |
|----|---|--|
| 4 | <u>विपणन अधिकारी</u> (कुल 74 पद) | 5_ (निदेशालय में) |
| | | 44 ("स" श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव) |
| | | 5 (खण्ड कार्यालय बीकानेर, श्रीगंगानगर, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा) |
| | | 15 (विशिष्ट श्रेणी की मण्डी समिति में अतिरिक्त सचिव) |
| 5. | अवकाश प्रतिनियुक्ति एवं प्रशिक्षण अवशेष | 5 |

अधीनस्थ सेवा

(1) कनिष्ठ विपणन अधिकारी (कुल 102 पद)

- | | | |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------|
| (क) | निदेशालय में | 15 |
| (ख) | खण्ड कार्यालय में | 20 |
| (ग) | परिज्ञान केन्द्र (खण्ड कार्यालय) | 8 |
| (घ) | अतिरिक्त सचिव | 28 ("अ" श्रेणी की मण्डी समिति में) |
| (ङ) | "द" श्रेणी की मण्डी समिति में सचिव पद | 26 |

(2) अवकाश प्रतिनियुक्ति एवं प्रशिक्षण अवशेष

5

मण्डी समिति सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव के पद संवर्ग में होने के कारण उन पर कार्य हेतु कोई प्रतिनियुक्ति भता देय नहीं होगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अवकाश, प्रतिनियुक्ति एवं ट्रेनिंग में सुरक्षित स्थान वास्तविक अवकाश, प्रतिनियुक्ति या ट्रेनिंग में जाने पर ही स्वीकृत माने जावेंगे।


यह स्वीकृति वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी.संख्या 131300449 दिनांक 18.09.2013 से प्राप्त सहमति के क्रम में जारी की गई है।

६०

(आर.आर.सुलानिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. महा लेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त (व्यय-1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य मंत्री, कृषि विपणन, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
- ✓ 5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. आरक्षी पत्रावली।


(आर.आर.सुलानिया)
शासन उप सचिव